संख्या– / /XVIII(II)/2021–07(46)/2008

प्रेषक,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 नवम्बर, 2021

विषयः–प्रदेश में वर्ग–3 भूमि के पट्टेदारों तथा वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों में से अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्त्योदय/बी0पी0एल0 परिवारों को 3.125 एकड़ तक की भूमि को निःशुल्क विनियमितीकरण की व्यवस्था पूर्व की भांति बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–958/XVIII(II)/2020–07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या–959/XVIII(II)/2020–07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में वर्ग–3 की भूमि के पट्टेदारों को संक्रमणीय भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने तथा प्रदेश में वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने के निर्देश जारी किए गये है।

2– उपरोक्त शासनादेशों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्त्योदय व बी0पी0एल0 की अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए वर्ग–3 एवं वर्ग–4 की उतनी ही भूमि का विनियमितीकरण निःशुल्क किया जाये, जिसको मिलाकर उनके पास कुल–3.125 एकड़ भूमि से अधिक भूमि न हों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्त्योदय तथा बी0पी0एल0 वर्ग के व्यक्ति की अपनी भूमि सहित 3.125 एकड़ तक भूमि का विनियमितीकरण निःशुल्क किया जायेगा को विलुप्त किया गया था।

3– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–958/XVIII(II)/2020–07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या–959/XVIII(II)/2020–07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्त्योदय व बी0पी0एल0 की अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए वर्ग–3 एवं वर्ग–4 की उतनी ही भूमि का विनियमितीकरण निःशुल्क किया जाये, जिसको मिलाकर उनके पास कुल–3.125 एकड़ भूमि से

....2

अधिक न हों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्त्योदय तथा बी0पी0एल0 वर्ग के व्यक्ति की अपनी भूमि सहित 3.125 एकड़ तक भूमि का विनियमितीकरण निःशुल्क किया जायेगा को पूर्व की भांति यथावत बनाये रखने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4— कृपया उपरोक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष प्रतिबन्ध/शर्ते यथावत रहेगीं।

भवदीय,

(डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव।

संख्या—1640/XVIII(II)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2— प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
5— आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गीता शरद)
अनु सचिव।